

जावक क्र. 1271/20  
दि. 25/11/2020

प्रारूप -7







महाराष्ट्र देश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन


शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के प्रपत्र

- 1 सोसाइटी का नाम और पूरा पता :- एम. एस. एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट ~~सम्मिति~~  
एम. आई. जी.10,डी.डी. नगर सर्किट हाउस

के पीछे वार्ड नं. 1 छतरपुर जिला - छतरपुर (म.प्र.)

- 2 पंजीयन क्रमांक तथा तारीख :- 06/12/01/07254/09 दिनांक 05.10.2009  
3 साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख :- 15.08.2020  
4 विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख :- 24.10.2018 से तारीख 23.10.2021 तक


अनु क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	अवधेश मिश्रा पिता श्री अशोक मिश्रा	वार्ड नं. 1 एम. आई. जी. 10 सर्किट हाउस के पीछे छतरपुर (म.प्र.)	अध्यक्ष	व्यवसायी	
2	आभिलाषा पट्टेरिया पति श्री विनोद पट्टेरिया	सीताराम कालोनी वार्ड नं. 1 छतरपुर (म.प्र.) )	उपाध्यक्ष	गृहणी	
3	नरेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्री अशोक कुमार मिश्रा	वार्ड नं. 1 एम. आई. जी. 10 सर्किट हाउस के पीछे छतरपुर (म.प्र.)	सचिव	व्यवसायी	
4	रश्मि साहू पति श्री भूपेश साहू	मातवाना मुहल्ला वार्ड नं. 22 छतरपुर (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष	गृहणी	
5	दिलीप सिंह पिता श्री रामराज सिंह	न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी पन्ना रोड छतरपुर (म.प्र.)	सं. सचिव	व्यवसायी	
6	धर्मेन्द्र सिंह पिता श्री रामराज सिंह	न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी पन्ना	सदस्य	व्यवसायी	

	रोड छतरपुर (म. प्र.)			
7	अजय तिवारी पिता श्री वन्दचली तिवारी	वासुदेव मुहल्ला, वी पार्क के पास चरखारी, जिला महोबा (उ०प्र०)	सदस्य	व्यवसायी
				


- 5 मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 1000. रूपये की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक दिनांक के द्वारा जमा कर दी गई है। उराको मूल प्रति संलग्न है।

### घोषणा

मैं नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा आयु लगभग 45 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी ही रहूँगा।

हस्ताक्षर ..... 

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

  
अतिरिक्त,  
फर्म एव सस्था,  
सागर समाज

अतिरिक्त  
एम. एस. एन. के. राव  
नाम :- सागर समाज (म. प्र.)

(अध्यक्ष / सचिव)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 643960

एम्. एम्. एम्. के बाबू बाबू रघु वामिनि

पंजीयन क्रमांक 07254/09 दिनांक 05/10/20 के नाम से दिनांक 21/10/20 को प्रस्तुत मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972 धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 21/10/20 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शाही निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है।

Asstt. Registrar  
 Firms and Societies  
 Sagar Division, Sagar